**भारत सरकार**
**ग्रामीण विकास मंत्रालय**
**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं.1597**
**(09 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

## गोरखपुर में सड़कों का निर्माण

**1597. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोरखपुर जिले के गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत अब तक निर्मित सड़कों का ब्यौरा और कुल संख्या कितनी है; और
(ख) क्या शेष गांवों को भी अगले वर्ष तक इस योजना में शामिल किए जाने की संभावना है?

**उत्तर**
**ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**
**(श्री कमलेश पासवान)**

(क): योजना की शुरुआत से अब तक ( 03.12.2025 तक), उत्तर प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के विभिन्न कार्यक्रमों/घटकों के तहत 77,425 कि.मी. सड़क लंबाई के कुल 21,125 सड़कों और 18 पुलों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इनमें से 75,467 कि.मी. सड़क लंबाई के कुल 20,964 सड़कों और 17 पुलों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

पीएमजीएसवाई के तहत राज्य के लिए स्वीकृत कार्यों में से 1,289 कि.मी. लंबाई सहित कुल 377 सड़क कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है और 1,256 कि.मी. लंबाई सहित 369 सड़क कार्यों को पूरा कर लिया गया है और गोरखपुर जिले में अब तक 19 कि.मी. सड़क का कार्य पूरा होना लंबित है।

(ख): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सितंबर 2024 में पीएमजीएसवाई- IV नामक एक नया घटक शुरू किया गया है , जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500+ आबादी वाली तथा पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची-V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, मरूस्थलीय क्षेत्र) में 250+ आबादी वाली और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाली सड़कों से नहीं जुड़ी बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना की कार्यान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक है। पात्र बसावटों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है , और अब राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जा रही है। **उत्तर प्रदेश राज्य** में, पीएमजीएसवाई-IV के तहत 14,611 बसावटों का सर्वेक्षण किया गया है , जिनमें से **गोरखपुर जिले** में 121 बसावटों का सर्वेक्षण किया गया है। इस मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) द्वारा इन बसावटों का सत्यापन किया जा रहा है ताकि पीएमजीएसवाई- IV कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार सर्वेक्षण की गई बसावटों में से पात्र बसावटों का पता लगाया जा सके।

***